

①

प्रपत्र-अ

### चौटेबल, सामाजिक, धार्मिक संस्थाओं/संगठनों/सोसायटी को आवंटन हेतु

#### प्रार्थना पत्र

CEM  
 Proven &  
 Arora  
 20/7  
 EM  
 Arora  
 20/7/23  
 Arora  
 20/7/23  
 श्री आरी  
 20-7-23

1. संस्था/संगठन का नाम: पंजाबी समाज संगठन समिति प्रताप नगर, सांगानेर
2. प्रार्थी का नाम (अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता ) मुकेश अरोड़ा एवं इंदरजीत कथूरिया
3. डाक पता, मोबाइल न. एवं मेल आई.डी.: C 803, यूनिट टावर, महल योजना जगतपुरा, 9782094043, 9828048907, arora.mukesh1969@gmail.com,
4. भूमि आवंटन का उद्देश्य : आमुदायिक केंद्र हेतु
5. चाहे गये क्षेत्र का विवरण (यदि कोई हो तो): प्रताप नगर हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र
6. भूमि का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) : लगभग दो हजार वर्ग मीटर
7. प्रोजेक्ट रिपोर्ट का सारांश (संस्थान, अनुमानित निवेश, निर्मित होने वाला क्षेत्रफल व समाज में होने वाले लाभों बाबत संक्षिप्त विवरण): संलग्न
8. संस्थान को राज्य सरकार द्वारा पूर्व में आवंटित भूमि का विवरण : नहीं
9. संलग्न किये जाने वाले दस्तावेज :
  - a. रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र : संलग्न
  - b. आईलॉज/रिज्यूलेशन : संलग्न
  - c. गत तीन वर्षों की ऑडिट रिपोर्ट व बैलेंस शीट : संलग्न
  - d. संस्थान का भूमि आवंटन के लिये लाया गया प्रस्ताव जिसमें अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता जो आवंटन हेतु आवेदन करेगा, उसका उल्लेख हो : संलग्न
  - e. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (चाही गई भूमि पर बनाने वाले प्रोजेक्ट बाबत मुख्य विवरण) : संलग्न
  - f. रुपये 5000/- (पांच हजार रुपये) का बैंक का डी.डी./पे-ऑर्डर जो सम्बंधित शहरी निकाय के सचिव/अधिसासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नाम हो:

संलग्न डी.डी. नंबर 201093 / 13/07/23 बैंक का नाम HDFC बैंक

वह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित सूचनाएं मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य है व कुछ भी छुपाया नहीं गया है। संस्थान/कंपनी/आवेदन कर्ता आवंटन की शर्तों/निर्देशों व उप-विधियों आदि की समस्त शर्तों की पूर्णतः पालना करेगा। शर्तों की अवेहलना करने पर आवंटन करने वाला शहरी निकाय आवंटन निरस्त करने, भवन, भूमि पर बने अन्य निर्माण को कब्जे में लेने हेतु स्वतंत्र रहेगा

दिनांक -----  
 स्थान-----

PUNJABI SAMAJ SANGATHAN SAMITI

Arora Arora  
 President Secretary Treasurer  
 अधिकृत हस्ताक्षर कर्ता

नाम एवं पद

CEM/636  
 20/7/23

राजस्थान सरकार



## रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक 394 /जयपुर/1998-99

यह प्रमाणित किया जाता है कि पंजाबी समाज संगठन समिति  
नं/83 प्रताप नगर, सांगानेर जिला जयपुर  
राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम  
संख्या 28, 1958) के अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण प्राप्त किया गया।

यह प्रमाण-पत्र धरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज



माह अक्टूबर सन एक हजार नौ सौ 1998

को जयपुर में दिया गया।

*[Signature]*  
रजिस्ट्रार संस्था  
रजिस्ट्रार संस्था

राजस्थान राब सहकारी मुद्रणालय लिमिटेड, जयपुर-1

PUNJABI SAMAJ SANGATHAN SAMITI

*[Signature]*

President

*[Signature]*

Secretary

Treasurer